(आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 31281/78)

डाक पंजीयन क्रमांक RJ/JPC/205/2021-23

O.I.G.S.

सत्यमेव जयते

राजस्थान

रोज़गार संदेश

(पाक्षिक)

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 44 अंक 13 | Website:http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in | 15 अगस्त, 2021 | फोन : 2368398 | मूल्य : 2.00 | वार्षिक शुल्क 40 रु.

राजस्थान रोजगार संदेश की ओर से पाठकों, विज्ञापनदाताओं व वितरकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

कैमरे की कलाकारी से भी आप स्वरोजगार और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

दुनिया का हर व्यक्ति अपनी स्मृति को अक्षुण्य बनायें रखना चाहता है। यादों को सहेज कर रखना चाहता है। यह तभी हो सकता है जब आपके पास कैमरा हो। फोटोग्राफी में कॅरियर की भी अनेक संभावनाएं हैं। वर्तमान समय में फोटोग्राफी किसी परिचय की मोहताज नहीं। फोटोग्राफी किसी छवि को प्रकाश की क्रिया द्वारा संवेदनशील सामग्री पर उतारने की प्रक्रिया को कहते है। सामान्यतः किसी लैंस द्वारा कैमरे में किसी वस्तु की छवि के निर्माण को फोटोग्राफी कहते हैं और आज के युग की सबसे बेहतरीन प्रचार -प्रसार का माध्यम भी फोटोग्राफी ही है।

फोटोग्राफी हमारी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह ठीक वैसे ही हैं कि शायद किसी बात को सैकड़ों शब्द नहीं समझा सकते उसे एक फोटो आसानी से समझा सकता है। यह अनुभव और शौक का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हम आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षेत्र में हम न केवल अच्छे पैसे कमा सकते हैं बल्कि एक ग्लैमर से भरी जिन्दगी भी जी सकते हैं।

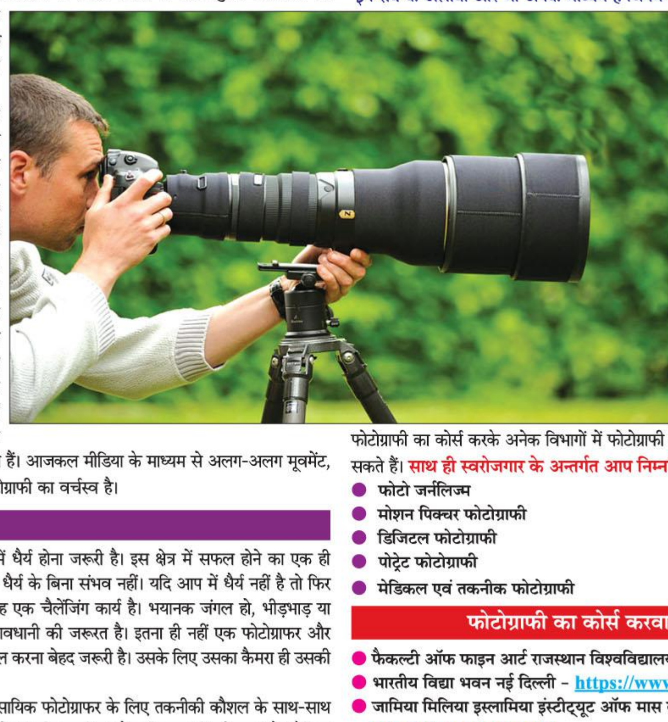

वर्तमान समय में सभी लोग फोटो खींचने और खिंचाने का शौक रखते हैं। फोटोग्राफी एक बेहतरीन कला है। इसमें विजुअल कमांड के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान भी आवश्यक है। जो लोग प्राकृतिक लगाव रखते हैं। प्रकृति के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं उन लोगों के लिए फोटोग्राफी एक बहुत अच्छा साधन है। इसमें कॅरियर की भी अनेक संभावनाएं हैं। फोटोग्राफी खुद को अभिव्यक्त करने का अच्छा साधन है। इससे हमारे अंदर छुपी हुई रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं कलात्मकता का रूप निखर कर सामने आता है। फोटोग्राफी कॅरियर का एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ फोटोग्राफर अपने कैमरे में सुंदर एवं प्रभावपूर्ण ऐसी तस्वीरें कैद कर लेता है कि वह दुनिया को आकर्षित करने वाली होती हैं। आजकल मीडिया के माध्यम से अलग-अलग मूवमेंट, फैशन शो, छोटे-बड़े आयोजन सभी जगह फोटोग्राफी का वर्चस्व है।

लगन और धैर्य

फोटोग्राफी सीखने और करने के लिए व्यक्ति में धैर्य होना जरूरी है। इस क्षेत्र में सफल होने का एक ही मूलमंत्र है और वह है धैर्य। एक अच्छा क्लिक धैर्य के बिना संभव नहीं। यदि आप में धैर्य नहीं है तो फिर आप मनोनकुल फोटोग्राफी नहीं कर सकते। यह एक चैलेंजिंग कार्य है। भयानक जंगल हो, भीड़भाड़ या तनावपूर्ण वातावरण हो, सभी जगह बड़ी ही सावधानी की जरूरत है। इतना ही नहीं एक फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर के लिए अपनी आँखों का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। उसके लिए उसका कैमरा ही उसकी आँखें हैं।

साथ ही एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और व्यावसायिक फोटोग्राफर के लिए तकनीकी कौशल के साथ-साथ व्यापारिक समझ भी जरूरी है। तकनीकी पहलू के अंतर्गत लाइटिंग, लैंस, फिल्टर, रिफलेक्टर और सैटिंग्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके ही फोटोग्राफर उच्च क्वालिटी की पिक्चर कैप्चर कर सकता है। इसके साथ यह भी जरूरी है कि फोटो खींचते समय अनेक चीजों के समायोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कैमरे की क्वालिटी सब्जेक्ट्स लाईटिंग और फोटोग्राफर का कौशल आदि।

आकर्षक कॅरियर है फोटोग्राफी में

वैसे तो आजकल कॅरियर के लिए अनेक नए-नए विकल्प होते जा रहे हैं, लेकिन फोटोग्राफी एक ऐसा साधन है, जो आपको पैसे के साथ-साथ नाम भी देता है। यह कॅरियर के लिए बहत ही आकर्षक फील्ड माना जा रहा है। फोटोग्राफी में कोर्स करने के लिए सीनियर सैकेण्डरी पास होना आवश्यक है। जहाँ ललित कला वर्ग (फाइन आर्ट विषय) में इसे एक ऐच्छिक विषय के रूप में लेकर बैचलर डिग्री प्राप्त की जा सकती है। अनेक महाविद्यालय एवं विश्व विद्यालय में इसे डिग्री कोर्स के साथ-साथ पार्ट टाइम कोर्स भी करवाया जाता है। कुछ में स्नातक कोर्स की भी सुविधा है। एक अच्छे फोटोग्राफर के लिए निम्नलिखित कोर्स कर सकते हैं।

- फोटोज जर्नलिज्म
- फैशन फोटोग्राफी
- व्यावसायिक फोटोग्राफी
- डिजिटल फोटोग्राफी
- कैमरा विभाग के सहायक में व्यावसायिक पाठ्यक्रम
- बुनियादी फोटोग्राफी में पाठ्यक्रम
- व्यावहारिक प्रिंसिपल फोटोग्राफी कोर्स

इन सब के अलावा और भी अनेक माध्यम हैं जिनमें कोर्स करके आप अपना कॅरियर बना सकते हैं।

इन सब के साथ यह भी जरूरी है कि फोटोग्राफी में कॅरियर बनाने के लिए आपके पास कलात्मक एवं पारखी नजर और तकनीक का अच्छा ज्ञान भी आवश्यक है। फोटोग्राफर बनने के लिए आपके पास आत्मविश्वास और लगन के साथ-साथ कड़ी मेहनत आवश्यक है। साथ ही व्यक्तिगत स्किल्स डवलपमेंट ग्राहक सेवा और पहचान एडवरटाइजिंग पब्लिसिंग एजेंसी और डिजाइनर के साथ आपसी तालमेल भी आवश्यक है।

रोजगार के अवसर

अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर होतो आपके लिए कॅरियर बनाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। फोटोग्राफी के क्षेत्र में जॉब के लिए अनेक साधन हैं। फोटोग्राफी में कॅरियर के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अनेक मार्ग प्रशस्त हैं। आप फोटोग्राफी का कोर्स करके अनेक विभागों में फोटोग्राफी का कोर्स करके अनेक विभागों में फोटोग्राफर बन सकते हैं। **साथ ही स्वरोजगार के अन्तर्गत आप निम्नलिखित स्थानों पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।**

- फोटो जर्नलिज्म
- फैशन फोटोग्राफी
- मोशन पिक्चर फोटोग्राफी
- स्टिल फोटोग्राफी
- डिजिटल फोटोग्राफी
- कलर एवं ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटोग्राफी
- पोट्रेट फोटोग्राफी
- फिल्म फोटोग्राफी
- मेडिकल एवं तकनीक फोटोग्राफी

फोटोग्राफी का कोर्स करवाने वाले प्रमुख संस्थान

- फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - https://www.uniraj.ac.in/
- भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली - https://www.bvbdelhi.org/
- जामिया मिलिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली - https://www.jmi.ac.in/
- सरजे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुम्बई - https://www.sirjjschoolofart.in/
- फ्रग्यूशन कॉलेज, पूणे - https://www.fergusson.edu/
- सेंट जेवियर कॉलेज मुम्बई - http://xaviers.edu/
- एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, नई दिल्ली - https://aaft.com/
- महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी - https://www.mgkvp.ac.in/
- जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद - https://jntuh.ac.in/
- बरकत्तुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल - http://www.bubhopal.ac.in/
- फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पूणे (सिनेमेटोग्राफी) - https://www.ftii.ac.in/
- सत्यजीत रेफिल्म एण्ड टेलिविजन इंस्टीट्यूट, कलकता। - http://srfti.ac.in/

लेखक नगेन्द्र नारायण किराडू विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, बीकानेर में कलाकार के पद पर कार्यरत है।

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक :- प.14(87)RSSB/अर्थना/ DLB/भर्ती/2021/816 दिनांक :- 10.08.2021

विज्ञापन सं. 02/2021

- :: सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा - 2021 ::-

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान के लिये राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम–1963 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में **ऑनलाइन आवेदन पत्र** (On Line Application Form) **आमंत्रित किये जाते हैं** :–

क.सं.	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	सहायक अग्निशमन अधिकारी	27	02	29
2.	फायरमैन	581	19	600

विशेष नोट :–

(1) Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण **आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जाएगा।**

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

1. आवेदन प्रक्रिया:– आवेदन Online Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे **राज्य के निर्धारित ई–मित्रकियोस्क/जन सुविधा केन्द्र** के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बना ले एवं SSO ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई–मित्र कियोस्क/ जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमे ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नही है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोल कर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वंय अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई–मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियो को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही–सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई–मित्र कियोस्क पर जमा कराना होगा। **इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र सेवा प्रदाता को नियमानुसार सेवा शुल्क के रूप में देना होगा** । आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई–मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई–मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें । ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रकिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है।

अभ्यर्थी अपने SSO ID एवं password से Login करेगे। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recuirtment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरेगे। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन मे संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियो को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। अभ्यर्थी सही–सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करें। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ई–मित्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई–मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें । ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई–मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। **हाथ से भरे आवेदन–पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।**

(क्रमशः)

नोटः—

1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। **एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**
2. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।**
3. **आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन—पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन—पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।**
4. कृपया ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की बेवसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।
5. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाऐं आवेदन मे दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।

2 परीक्षा शुल्कः— आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क **राज्य के निर्धारित ई—मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।

(क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु **—रूपये 450/—**

(ख) राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु **—रूपये 350/—**

(ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु **—रूपये 250/—**

(घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.8(3) कार्मिक/क—2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क **रूपये 250/—**देय है।(कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 4 भी अवश्य देखें।)

नोटः—

1. **राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।**
2. फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
3. फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. **सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वें परीक्षा शुल्क रूपये 250/— ही जमा कराते है, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण—पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।**

3. प्रवेश पत्रः—बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आनॅलाईन प्रवेश—पत्र जारी किये जाएगें। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश—पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश—पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन पत्र कमांक** एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान मे रखे। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश—पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई—मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

4. रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार हैः—

(क) गैर—अनुसूचित क्षेत्र लम्बवत् आरक्षण (Vertical Reservation)

पद का नाम	कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
सहायक अग्निशमन अधिकारी	27	9	2	1	—	3	1	—	—	3	—	—	—	4	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
फायरमैन	581	148	43	16	4	65	19	7	1	49	14	5	1	86	25	9	2	21	6	2	—	41	12	4	1

नोटः— **बारां जिले की सहरिया आदिम जाति हेतु कोई पद आरक्षित नहीं है।**

पद का नाम	क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)					
	विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
	B/LV	HI	LD/CP	MI/MD		
सहायक अग्निशमन अधिकारी	—	—	2 (एसिड पीडित जो अन्य किसी निःशक्तता से ग्रसित ना हो)	—	3	—
फायरमैन	—	—	24 (एसिड पीडित जो अन्य किसी निःशक्तता से ग्रसित ना हो)	—	72	11

(ख) अनुसूचित क्षेत्र लम्बवत् आरक्षण (Vertical Reservation)

पद का नाम	कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				क्षैतिज आरक्षण					
														विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाडी
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	B/LV	HI	LD/CP	MI/MD		
सहायक अग्निशमन अधिकारी	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01(केवल एसिड पीडित)	—	—	—
फायरमैन	19	8	3	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	01(केवल एसिड पीडित)	—	2	—

नोटः—

1. **लम्बवत् रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल है।**
2. **प्रत्येक पद के लिये अभ्यर्थी को अलग—अलग आवेदन भरना होगा।**
3. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगें। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जावेगा।
4. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचति क्षेत्र के कॉलम में अंकन नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदो के लिये विचार नही किया जायेगा।
5. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाडी एव विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण **क्षैतिज (Horizonta)** से होगा।
6. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में कमी या बढोतरी** की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

(क्रमशः)

<u>विशेष सूचनाः–</u>

1. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्‌वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रकिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्‌वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।
2. **राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा।**
3. **महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण** क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
<u>स्पष्टीकरणः</u>– किसी वर्ग(अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। <u>पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।</u>
4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह–विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। **विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण/न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**
5. **अति पिछडा वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछडा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
7. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्व चयन हेतु **आरक्षित वर्ग(अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।**
8. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
9. **बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति** के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हे बांरा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश कमांक प.13(20) कार्मिक/क–2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
10. <u>**भूतपूर्व सैनिकों हेतुः**</u>–(क) भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
(ख) भूतपूर्व सैनिक :–
(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र ''अच्छा'' से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।
(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।
भूतपर्व सैनिकों को आरक्षण **राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है।** भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.5(18) कार्मिक/क–2/84 पार्ट–II दिनांक 17.04.2018 एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगें। **कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(18)डीओपी/ए–II/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।**
''कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर–भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।''
''यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।'';
यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नही करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रकिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियो की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष मे अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जावेगी।
11. <u>उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतुः</u>– **उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।** आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्‌वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–II/84 दिनांक 21–11–2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।
<u>उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान</u> :–कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–II/84 दिनांक 21–11–2019 के अनुसार ''उत्कृष्ट खिलाडी' ' से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने :–
1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट /चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट /चैंपियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स(ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ)	एशियन स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।''

नोटः– कृपया उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान–बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी अंकित की हैं, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। **उत्कृष्ट खिलाडी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**

12 <u>विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिये :–</u>

a. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अर्न्तगत **स्वायत्त शासन विभाग द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण** दिनांक 10.08.2020 में लिये गये निर्णयानुसार निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण का लाभ देय होगा :–
<u>**सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन**</u> के पदों के लिये **'एसिड पीडित'** (जो कि अन्य किसी निःशक्तता से ग्रसित नहीं हो) को आरक्षण का लाभ देय है। शेष विकलांगता की अन्य श्रेणियों को उक्त पद के लिये उपयुक्त नहीं माना गया है।
विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
b. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।
c. विशेष योग्यजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
d. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते है, अपनी विशेष योग्यजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
e. **विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को उपरोक्त कॉलम 4 (12)(a) में वर्णित विकलांगता का प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवदेन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**

5. <u>अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :–</u>

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्‌भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्‌भावी निवासी रहे है। कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्‌भावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम–2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नही है, वहां पर राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 यथा संशोधित के प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80–एल–1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक(क–2) विभाग ने अपने परिपत्र कमांक प.13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट–3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोटः–अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रकिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण–पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनो की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्‌यकम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर–अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

6. <u>वेतनमानः</u>– राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार सहायक अग्निशमन अधिकारी का वेतनमान <u>पे मैट्रिक्स लेवल–8</u> तथा फायरमैन का वेतनमान <u>पे मैट्रिक्स लेवल–4</u> निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

अन्य शर्तें :–
(1.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जावे।
(2.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृखंला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें व स्थाईकरण का पात्र होगा।

7. <u>पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताः</u>–

1.<u>सहायक अग्निशमन अधिकारीः</u>–(i) भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर द्वारा संचालित सब–ऑफिसर पाठ्‌यक्रम या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों द्वारा संचालित कोई भी समकक्ष पाठ्‌यक्रम

और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

2.<u>फायरमैन</u> :–(i) सैकण्डरी या उसके समकक्ष अर्हता और केन्द्रीय या किसी भी राज्य सरकार या यथा स्थिति, विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न्यूनतम छः माह की अवधि का बेसिक एलीमेन्ट्री फायरमैन प्रशिक्षण या समकक्ष अर्हता

और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
परन्तु यदि फायरमैन के पद के लिए चयन हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन इस शर्त पर किया जा सकेगा कि ऐसे अभ्यर्थी अपने चयन की तारीख से एक वर्ष के भीतर स्वंय के खर्चे पर, केन्द्रीय या किसी भी राज्य सरकार या विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न्यूनतम छह मास की अवधि का बेसिक एलीमेन्ट्री फायरमैन प्रशिक्षण उत्तीर्ण करेंगे और उनके पूर्वोक्त प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने का सबूत प्रस्तुत करने के पश्चात् उनको फायरमैन के पद नियुक्त किया सकेगा।

<u>शारीरिक दक्षता परीक्षणः</u>–
(क) सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में शारीरिक स्वस्थता के लिए निम्नलिखित शारीरिक मानक आज्ञापक होंगे, अर्थात्–

अभ्यर्थी	ऊँचाई(सेमी.)	भार	सीने का घेरा (सेमी.)	
			सामान्य	फैलाव
पुरूष	165 सेण्टीमीटर	50 कि.ग्रा.	81	86
महिला	152 सेण्टीमीटर	47.50 कि.ग्रा.	–	–
अनुसूचित जनजाति के पुरूष	160 सेण्टीमीटर	50 कि.ग्रा.	76	81

<u>अन्य योग्यताऐं</u> :–

(1) **स्वास्थ्यः**– सहायक अग्निशमन अधिकारी तथा फायरमैन के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि सहायक अग्निशमन अधिकारी तथा फायरमैन के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
(2) **चरित्र** :– सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह सहायक अग्निशमन अधिकारी तथा फायरमैन के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके । उसे सद्‌चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदन–पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो।

8. <u>राष्ट्रीयता</u> :–

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ)ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानियातथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।
नोटः–परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ड.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. <u>आयुः</u>– <u>सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन</u> :– आवेदक 1, जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नही दी जावेगी।"

<u>स्पष्टीकरणः</u>– सहायक अग्निशमन अधिकारी तथा फायरमैन भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2015–2016 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की और छूट दी जाएगी।
उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगीः–
1. अधिकतम आयु सीमा में –
(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(क्रमशः)

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2. अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार (Substantive) पर सेवा की हो और जो सजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
3. अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की ढील दी जाएगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था।
4. एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वास्तविक आयु मे सें उतना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आवधि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई हो।
5. राज्य सेवा में एक पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आयु सीमा के भीतर थे, जब वे शुरू में नियुक्त किए गये थे, भले ही वे आयु सीमा पार कर चुके हों, जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो, और दो अवसरों तक की अनुमति दी जावेगी, जैसे वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय पात्र थे।
6. आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उन व्यक्तियों की, जिनकी रिक्ति के अभाव में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छंटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होगी बशर्ते कि वे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रथमतः छंटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि भर्ती के सामान्य विहित माध्यमों की सम्यक् रूप से अनुपालना कर ली जाये और अर्हता, चरित्र, चिकित्सीय आरोग्यता आदि से संबंधित समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छंटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया अच्छी सेवाओं का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दें।
7. सेना मे मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यक्तियों के मामलें में निर्धारित आयु सीमा में माना जायेगा भले ही वे निर्धारित आयु सीमा को प्राप्त कर चुके हो जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो।
8. 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से वापस भारत आये व्यक्ति के मामले में कोइ आयु सीमा नही होगी।
9. भूतपूर्व सैनिको के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु कास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 02 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.5(18) कार्मिक/क–2/84 पार्ट/II दिनांक 17.04.2018 एवं 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होगें।
10. पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
11. विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामलें में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहियें।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– विधवा महिला के मामले मे उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विच्छिन्न विवाह का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

<u>नोटः</u>–

(क) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी मे हो। आवेदक के अधिकायु का होने पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

(ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये **राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम–1963** एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।

(ग) उपरोक्त बिन्दु 9 की क.सं. 1 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त क.सं. 1 से 11 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

10. <u>अंशदायी पेंशन</u>

:–नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. <u>विवाह पंजीयन</u>

:– शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

12. <u>परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि</u>:–

ऑनलाईन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करवाकर **दिनांक 18.08.2021 से दिनांक 16.09.2021** को 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाऐगा)। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया ऊपर बिन्दू संख्या 1 में वर्णित है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

13. <u>परीक्षा का माह एवं दिनांक</u>:–

सहायक अग्निशमन अधिकारी तथा फायरमैन के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा **संभावित माह दिसम्बर 2021** को आवंटित परीक्षा केन्द्रो पर करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

14. <u>अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में</u> :–

सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

15. <u>नियुक्ति की अयोग्यताऐं</u> :–

(1)किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं।

(2)किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष सेविवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दीजा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(3)कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्रनहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह केसमय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

(4)ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट–छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred)कर दिया जायेगा।

16.<u>आवेदन कैसे करेः</u>–

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट– राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन कीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

<u>कृपया ध्यान दें</u>:–

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ–साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों का On line Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद मे किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नही है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई हैं अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टयाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तो की पालना नही करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट <u>www.rsmssb.rajasthan.gov.in</u>पर भी उपलब्ध है।

7.<u>फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश</u>

<u>फोटो अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश</u> :–

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड़ करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नही करें।
c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

8.<u>हस्ताक्षर अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश</u> :–

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड़ हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
e. केवल जेपीईजी(JPEG)प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए
i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

<u>विशेष टिप्पणी</u>:–

1. **परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी(Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आंमत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/– रू जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रकिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।**
2. **परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानो पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोडफोड, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाऐ रखें।**
3. **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई–प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।**
4. **जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नही है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मलित है।**
5. **सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट <u>www.rsmssb.rajasthan.gov.in</u>पर उपलब्ध है।**
6. **परीक्षार्थी को ई–प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित् करनी होगी।**

17. <u>ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रकिया</u>:–

<u>बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।</u> ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रकिया निम्नानुसार होगी :–

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने आनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/– रूपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रकिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया के समान ही होगी।
2. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक ओर अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/– रूपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, क्षैतिज श्रेणी, विशेष <u>श्रेणी/उप</u> श्रेणी, जन्मतिथी, वैवाहिक स्थिति यथा विधवा, परित्यक्ता एवं लिंग इत्यादि में संशोधन कर सकेगा।
3. अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता–पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक को अपने नाम, माता–पिता के नाम, पत्ते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिये(चयन होने की स्थिति मे) पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अवसर दिया जायेगा।
4. इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

18. <u>श्रुत लेखन की सुविधा</u>:–

सामान्यतयाः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करायें जायेंगें,परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आंवटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

19. <u>प्रमाण–पत्रों का सत्यापन</u>:–

आवेदक को वर्ग विशेष(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाडी) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :–

1. जाति प्रमाण –पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ हैं।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।
5. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण–पत्र पर विचार नही किया जाएगा।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
8. शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन, चरित्र एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दस्तावेज।

20. <u>आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम</u>:–

आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही–सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करनेएवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination"तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

21. <u>परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यकम</u> :–

<u>सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन</u> पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाईट **<u>www.rsmssb.rajasthan.gov.in</u>** पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

22. <u>बोर्ड की वेबसाइट</u> :–

आवेदक बोर्ड की वेबसाइट **<u>www.rsmssb.rajasthan.gov.in</u>** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141–2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर–302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष

डी.आई.पी.आर/सी/7945/2021 रा.रो.सं 16/2021

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
मुख्यालय, इन्फेंटरी स्कूल, महू
रोज़गार सूचना

निम्नलिखित पद (ों) के लिए भारतीय नागरिकों से, जो कि नीचे वर्णित अपेक्षित अर्हताएं/विशिष्टताएं पूरी करते हैं, सादे कागज पर केवल निर्धारित प्रपत्र में विधिवत टंकित अथवा साफ -2 हस्तलिखित आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं. हर तरह से विधिवत पूर्ण किए गए आवेदन-पत्र साथ में उपयुक्त डाक टिकट विधिवत चिपकाया हुआ स्वयं का पता लिखा पंजीकृत लिफाफा साथ में **सभी अपेक्षित दस्तावेज, विधिवत स्वयं सत्यापित, संलग्न करते हुए इन्फेंटरी स्कूल महू स्टेशन में सारणी 1 भर्ती पद हेतु पीठासीन अधिकारी, सिविलियन सीधी भर्ती, आवेदन जांच बोर्ड, दि इन्फेंटरी स्कूल, महू (म.प्र.)-453441 के पते पर और जेएल विंग, दि इन्फेंटरी स्कूल, बेलगाम (कर्नाटक) स्टेशन में सारणी 2 पद के लिए पीठासीन अधिकारी, सिविलियन सीधी भर्ती, आवेदन जांच बोर्ड, जूनियर लीडर्स विंग, दि इन्फेंटरी स्कूल, बेलगाम (कर्नाटक) के पते पर पहुंच जाने चाहिएं.**

(क) सारणी 1: इन्फेंटरी स्कूल, महू स्टेशन में भर्ती पद

क्रम सं.	पद का नाम और वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	समूह	पदों की संख्या	श्रेणी-वार वितरण (जहां कहीं लागू है)					पदों की कुल संख्या में से चिन्हित
				अना	ईडब्ल्यूएस	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै/पीडब्ल्यूडी
1.	**लेखाकार,** वेतन लेवल-4 (रु. 25500-81100)	ग	02	01				01	
2.	**ड्राफ्ट्समैन,** वेतन लेवल-4 (रु. 25500-81100)	ग	03	01		01	01		
3.	**अवर श्रेणी लिपिक,** वेतन लेवल-2 (रु. 19900-63200)	ग	04	01	01	01		01	@ भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित 01 रिक्ति सहित
4.	**बढ़ई,** वेतन लेवल-2 (रु. 19900-63200)	ग	01		01				
5.	**अनुवादक,** लेवल-2 (रु.19900-63200)	ग	01	01					
6.	**स्टोरकीपर,** लेवल-2 (रु. 19900-63200)	ग	01					01	
7.	**बूटमेकर,** लेवल-2 (रु. 19900-63200)	ग	01	01		01			
8.	**पेंटर,** लेवल-2 (रु. 19900-63200)	ग	02	01					
9.	**सिविलियन मोटर ड्राइवर (ओजी),** लेवल-2 (रु. 19900-63200)	ग	02			01		01	@भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित 01 रिक्ति सहित
10.	**कुक,** लेवल-2 (रु. 19900-63200)	ग	04	02			01	01	
11.	**पर्यवेक्षक,** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	01					01	
12.	**आर्टिस्ट अथवा मॉडल मेकर,** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	01					01	
13.	**फटीग़मैन,** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	21	04	02	02	06	07	@ भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित 04 रिक्ति सहित
14.	**एमटीएस (वॉचमैन),** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	02	01				01	@ भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित 01 रिक्ति सहित
15.	**एमटीएस (चौकीदार),** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	01				01		@ भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित 01 रिक्ति सहित
16.	**एमटीएस (मैसेंजर),** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	01			01			@ पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित रिक्ति
17.	**धोबी,** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	01				01		
18.	**नाई,** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	03	01			01	01	@ भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित 01 रिक्ति सहित
19.	**साइकिल रिपेयर,** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	01	01					
	कुल		**53**	**15**	**04**	**07**	**11**	**16**	

(ख) सारणी 2: जेएल विंग, दि इन्फेंटरी स्कूल, बेलगाम (कर्नाटक) स्टेशन में भर्ती पद

क्रम सं.	पद का नाम और वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	समूह	पदों की संख्या	श्रेणी-वार वितरण (जहां कहीं लागू है)					पदों की कुल संख्या में से चिन्हित
				अना	ईडब्ल्यूएस	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै/पीडब्ल्यूडी
1.	**ड्राफ्ट्समैन,** वेतन लेवल-4 (रु. 25500-81100)	ग	01	01					
2.	**आशुलिपिक ग्रेड-2, लेवल-4** (रु. 25500-81100)	ग	01			01			
3.	**अवर श्रेणी लिपिक,** वेतन लेवल-2 (रु. 19900-63200)	ग	02				01	01	
4.	**बढ़ई,** वेतन लेवल-2 (रु. 19900-63200)	ग	01			01			
5.	**पेंटर,** लेवल-2 (रु.19900-63200)	ग	01				01		
6.	**सिविलियन मोटर ड्राइवर (ओजी),** लेवल-2 (रु.19900-63200)	ग	01		01				
7.	**ओवरसीयर,** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	01				01		
8.	**कुक,** लेवल-2 (रु.19900-63200)	ग	04	01		01	01	01	@ भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित 01 रिक्ति सहित
9.	**आर्टिस्ट अथवा मॉडल मेकर,** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	01				01		
10.	**फटीग़मैन,** वेतन लेवल-1 (रु.18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	06	03	01	02			@ भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित 01 रिक्ति सहित
11.	**एमटीएस (चौकीदार),** वेतन लेवल-1 (रु.18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	01	01					
12.	**एमटीएस (सफाईवाला),** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	02	01				01	@ भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित 01 रिक्ति सहित
13.	**नाई,** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	01	01					
14.	**साइकिल रिपेयरर,** वेतन लेवल-1 (रु. 18000-56900)	ग (पूर्ववर्ती समूह घ)	01				01		
	कुल		**24**	**08**	**02**	**05**	**06**	**03**	

(क्रमशः)

2. ऊपर वर्णित रिक्तियों की संख्या अनंतिम है. कमांडेंट, इन्फेंटरी स्कूल, महू (म.प्र.) के पास रिक्तियों की संख्या में, यदि आवश्यक है, परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है.

क्रम सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	अर्हता	**लेखाकार** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एकाउण्टेंसी के साथ डिग्री या समकक्ष **अथवा** (ii) एक विषय के तौर पर गणित
		ड्राफ्ट्समैन (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण अथवा समकक्ष **और** (ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का ड्राफ्ट्समैन-शिप में डिप्लोमा
		आशुलिपिक ग्रेड-2 (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण अथवा समकक्ष **(ii) कौशल परीक्षा नियम :-** **डिक्टेशन :** 80 श.प्र.मि. की गति से 10 मिनट **ट्रांसक्रिप्शन :** 50 मिनट (अंग्रेज़ी), 65 मिनट (हिंदी) (कम्प्यूटर पर)
		अवर श्रेणी लिपिक :- (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं श्रेणी अथवा समकक्ष अर्हता (ii) कम्प्यूटर पर 35 श.प्र.मि. की गति से अंग्रेज़ी टंकण अथवा कम्प्यूटर पर 30 श.प्र.मि. की गति से हिंदी टंकण (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर प्रति घण्टा 10500/9000 की डिप्रेशन्स के तत्स्थानी है)
		सिविलियन मोटर ड्राइवर (साधारण ग्रेड) (i) मैट्रिकुलेशन (ii) भारी वाहनों के लिए सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस और ऐसे वाहनों की ड्राइविंग का दो वर्ष का अनुभव रखते हों.
		बढ़ई (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण अथवा समकक्ष, **और** (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से ट्रेड में प्रमाणपत्र. अथवा बढ़ई के तौर पर तीन वर्षों का अनुभव
		पेंटर (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण अथवा समकक्ष, **और** (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से ट्रेड में प्रमाणपत्र. अथवा पेंटर के तौर पर तीन वर्षों का अनुभव
		अनुवादक (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण अथवा समकक्ष (ii) विशारद/भूषण/कोविद के समकक्ष हिंदी दक्षता प्रमाणपत्र (iii) मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा **वांछनीय** (i) सैन्य इकाइयों में अनुवादक के तौर पर पूर्ववर्ती अनुभव
		स्टोरकीपर (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्ष, **और** (ii) स्टोर्स की देखरेख करने का तीन वर्षों का अनुभव
		आर्टिस्ट अथवा मॉडल मेकर (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से मैट्रिकुलेशन, **और** (ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से ड्राइंग में प्रमाणपत्र
		बूटमेकर (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण अथवा समकक्ष (ii) सभी कैनवेश, टेक्सटाइल और लैदर रिपेयर करने तथा उपकरणों और बूटों की रिप्लेसमेंट संचालित करने में योग्य होना चाहिए.
		कुक :- (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समकक्ष (ii) इंडियन कुकिंग का ज्ञान और ट्रेड में दक्षता अवश्य रखते हों.
		फटीगमैन **अनिवार्य:** (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण अथवा समकक्ष (ii) फटीगमैन की ड्यूटियों से सुपरिचित होना चाहिए और एक वर्ष का अनुभव
		एमटीएस (वॉचमैन), एमटीएस (चौकीदार), (सफाईवाला), एमटीएस (मैसेंजर) **अनिवार्य:** (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्ष **वांछनीय** (ii) संबंधित ट्रेडों में अपने कार्यों से सुपरिचत होने चाहिए और ट्रेड में एक वर्ष का अनुभव.
		नाई **अनिवार्य:-** (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष साथ में नाई की ट्रेड के कार्य में दक्षता. **वांछनीय:-** (ii) ट्रेड में एक वर्ष का अनुभव
		धोबी **अनिवार्य :** (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्ष (ii) सैन्य/सिविलियन वस्त्र अच्छी तरह धाने में योग्य अवश्य होने चाहिए
		साइकिल रिपेयरर **अनिवार्य:** (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्ष

क्रम सं.	ब्यौरा	विवरण
		और अपनी ट्रेड से सुपरिचत हों साथ में ट्रेड में कम से कम दो वर्ष का अनुभव
		पर्यवेक्षक: मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से मैट्रिकुलेशन
		ओवरसीयर मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष
(ख)	आयु सीमा	**(i) 18-25 वर्ष:** अवर श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक ग्रेड-2, बूटमेकर, कुक, अनुवादक, फटीगमैन, (एमटीएस) वॉचमैन, एमटीएस (चौकीदार), एमटीएस (मैसेंजर), एमटीएस (वॉचमैन), एमटीएस (सफाईवाला), धोबी, नाई, साइकिल रिपेयरर के पद के लिए. **(ii) 18-27 वर्ष:** लेखाकार, बढ़ई, स्टोरकीपर, पर्यवेक्षक, ओवरसीयर, आर्टिस्ट अथवा मॉडल मेकर, पेंटर, सिविलियन मोटर ड्राइवर (साधारण ग्रेड), ड्राफ्ट्समैन **आयु सीमा के लिए छूट** (i) ऊपरी आयु सीमा सरकारी सेवकों और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए इस संबंध में मौजूदा सरकारी नियमों के अनुरूप शिथिलनीय है. (ii) अजा/अजजा उम्मीदवार जो अपने आरक्षित पद के लिए आवेदन कर रहे हैं 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी. अपिव (गैर संपन्न वर्ग) उम्मीदवारों को आयु में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी. (iii) निःशक्त व्यक्तियों को अना श्रेणी के अधीन 10 वर्ष, अपिव (गैर-संपन्न वर्ग) श्रेणी 13 वर्ष और अजा/अजजा श्रेणी के लिए 15 वर्ष तक की छूट है. **(iv)** अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवार जो कि अनारक्षित पद के तहत आवेदन कर रहे हैं उन्हें अजा/अजजा/अपिव के लिए लागू आयु में छूट और अन्य रियायतें नहीं दी जाएंगी.
(ग)	फीस	50 रु. (केवल पचास रुपए) का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट सारणी 1 में वर्णित पद के लिए कमांडेंट, दि इन्फेंटरी स्कूल, महू के पक्ष में और सारणी 2 में वर्णित पद के लिए कमांडर, जूनियर लीडर्स विंग, दि इन्फेंटरी स्कूल, बेलगाम के पक्ष में पोस्टल ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि को अथवा इसके उपरांत जारी किया गया होना चाहिए. आवेदन शुल्क अप्रतिदेय है. अजा/अजजा से संबंधित उम्मीदवार, यदि वे आरक्षित श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं, को आवेदन शुल्क से छूट है और निःशक्त व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को भी आवेदन शुल्क से छूट दी गई है.
(घ)	फोटोग्राफ	आवेदन प्रपत्र में चिन्हित स्थान पर हाल का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (तीन माह से अधिक पुराना न हो) चिपकाया जाना चाहिए. इसके अलावा विधिवत स्वयं सत्यापित (सामने की तरफ) दो अतिरिक्त फोटोग्राफ आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिए.
(ङ)	निर्णायक तिथि	आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी.
(च)	बंद होने की तिथि	आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तिथि **12 सितंबर 2021** होगी. उत्तर पूर्व क्षेत्र अर्थात असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य की लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिविजन, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संबंध में आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तिथि **22 सितंबर 2021** होगी.

2. परीक्षा की योजना : चयन पूरी तरह मैरिट के आधार पर किया जाएगा. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और कौशल/शारीरिक/व्यावहारिक/टंकण परीक्षा, जहां कहीं आवश्यक है, शामिल होगा. सभी समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' पदों के लिए चयन कौशल/शारीरिक/व्यावहारिक/टंकण परीक्षा, जो भी मामला है, में अर्हता के विषयाधीन केवल लिखित परीक्षा में आवेदकों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा.

पेपर	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	परीक्षा की अवधि
पेपर-I	सामान्य बुद्धिमत्ता और रिजनिंग (वस्तुनिष्ठ बहु विकल्प प्रकार)	25	25	2 घंटा
पेपर-II	सामान्य जागरूकता (वस्तुनिष्ठ बहु विकल्प प्रकार)	50	50	
पेपर-III	सामान्य अंग्रेजी (वस्तुनिष्ठ बहु विकल्प प्रकार)	50	50	
पेपर-IV	संख्यात्मक अभिरुचि (वस्तुनिष्ठ बहु विकल्प प्रकार)	25	25	

लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में होगा. यद्यपि अंग्रेजी भाषा विषय के हिस्से पर प्रश्न केवल अंग्रेज़ी में होंगे.

3. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

(क) सामान्य बुद्धिमत्ता और रिजनिंग: प्रश्न 10वीं/12वीं स्तर के होंगे और इनमें ग़ैर मौखिक प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे. परीक्षा में एनालॉग्स, समानताएं और विभेद, स्पेस विजुआलाइजेशन, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, विजुअल मेमॅरि, भेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं, आंकड़ा वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, ग़ैर मौखिक श्रृंखलाएं आदि पर प्रश्न शामिल होंगे. परीक्षा में इस तरह से प्रश्नों का डिज़ाइन शामिल होगा जिससे एब्सट्रेक्ट आडिया और चिन्हों तथा उनके संबंध, अंकगणितीय संगणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक संकार्यों से संव्यवहार के बारे में उम्मीदवारों की योग्यता की जांच की जा सके.

(ख) सामान्य जागरूकता: प्रश्न 10वीं/12वीं स्तर के होगे. प्रश्नों को उम्मीदवार की उसके आसपास के पर्यावरण और समाज पर इसके अनुप्रयोग की सामान्य जागरूकता की योग्यता की जांच हेतु डिज़ाइन किया जाएगा. प्रश्नों को ताज़ा घटनाक्रमों की जानकारी की जांच और रोज़मर्रा अवलोकित होने वाले ऐसे मामलों की जांच तथा वैज्ञानिक पहलुओं में उनके अनुभव, जैसा कि 10वीं स्तर के शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा होती है, की जांच हेतु भी डिज़ाइन किया जाएगा. परीक्षा में भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्नों, विशेषकर खेलों, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान सहित सामान्य राजनीति और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा. ये प्रश्न इस प्रकार के होंगे कि उनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है.

(क्रमशः)

रोजगार के अवसर

(संक्षिप्त जानकारी)

आइआइटी, मद्रास
पद – स्टाफ नर्स आदि
संख्या – कुल 92 पद
अंतिम तिथि – 23 अगस्त, 2021
https://www.iitm.ac.in/

आइआइएमए
पद – पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप
पद संख्या – कुल 05 पद
अंतिम तिथि – 22 अगस्त, 2021
https://iimamritsar.ac.in/

आईआईटी-धनबाद
पद – जूनियर असिस्टेंट
पद संख्या – कुल 73 पद
अंतिम तिथि – 31 अगस्त, 2021
iitism.ac.in

मुंबई मेट्रो
पद – जूनियर इंजीनियर व अन्य
पद संख्या – कुल 19 पद
अंतिम तिथि – 31 अगस्त, 2021
mmrcl.com

फाइनेंस मिनिस्ट्री
पद – प्रिसीडिंग ऑफिसर
पद संख्या – कुल 15 पद
अंतिम तिथि – 24 अगस्त, 2021
https://financialservices.gov.in/

एनआइईपीआइडी
पद – असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य
पद संख्या – कुल 19 पद
अंतिम तिथि – 23 अगस्त, 2021
http://www.niepid.nic.in/

स्टाफ सलेक्शन कमीशन
पद – कांस्टेबल व अन्य
पद संख्या – कुल 25271 पद
अंतिम तिथि – 31 अगस्त, 2021
http://ssc.nic.in/

ओपीएससी
पद – असिस्टेंट प्रोफेसर
पद संख्या – कुल 385 पद
अंतिम तिथि – 24 सितंबर, 2021
opsc.gov.in

*** सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी ***

1. राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य एवं प्रस्तावित टाइगर रिजर्व में वन पथ निर्माण पर हाइकोर्ट ने रोक लगाई है ?
(अ) रामगढ़ विषधारी अभयारण्य
(ब) मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य
(स) टॉडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य (द) इनमें से कोई नहीं

2. भारत का सबसे बड़ा पंचकर्म पार्क राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जायेगा ?
(अ) अजमेर (ब) जयपुर
(स) जोधपुर (द) इनमें से कोई नहीं

3. राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है?
(अ) मोर (ब) गोडावण
(स) बतख (द) इनमें से कोई नहीं

4. मुख्यमंत्री लोक कलाकार आर्थिक सहायता योजना 2021 के तहत कितनी राशि दी जायेगी ?
(अ) 1500 (ब) 2000 (स) 3000 (द) 5000

5. राजस्थान आवासन मंडल तथा महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कन्या वाटिका का शुभारंभ कहाँ किया गया ?
(अ) कोटा (ब) करौली (स) बीकानेर (द) जयपुर

6. राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी नवाचार वर्ग में नेशनल वाटर इनोवेशन अवॉर्ड दिया गया ?
(अ) जिला परिषद, उदयपुर (ब) जल संसाधन विभाग
(स) महिला एवं बाल विकास विभाग (द) इंदिरा गांधी नहर विभाग

7. टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं ?
(अ) 5 (ब) 6
(स) 4 (द) 7

8. राजस्थान में नाबालिग भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है?
(अ) पुलिस आयुक्तालय जोधपुर (ब) पुलिस आयुक्तालय जयपुर
(स) कोटा पुलिस (द) उदयपुर पुलिस

9. विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है ?
(अ) 01 जून (ब) 25 अगस्त
(स) 15 जुलाई (द) 10 नवम्बर

10. लेंस की शक्ति का मात्रक होता है?
(अ) डायोप्टर (ब) कैंडिला
(स) केल्विन (द) मोल

11. 03 अगस्त 2021 को किस राज्य/केंद्रशासित सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी?
(अ) बिहार (ब) राजस्थान
(स) असम (द) दिल्ली

12. हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह 'यूटेलसैट क्वांटम' लॉन्च किया है?
(अ) NASA (ब) JAXA
(स) ESA (द) CNSA

13. हाल ही में चर्चा में रहा ट्राईका क्या है ?
(अ) अंतरिक्ष मिशन (ब) हथियार
(स) टीका (द) इनमें से कोई नहीं

14. हाल ही में किसने प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज हेतु पेटेंट पंजीकरण प्राप्त किया है ?
(अ) नीति आयोग (ब) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
(स) भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान
(द) इनमें से कोई नहीं

15. प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है?
(अ) 07 अगस्त (ब) 06 अगस्त
(स) 03 अगस्त (द) इनमें से कोई नहीं

– उत्तरमाला –

1(स) 2(स) 3(ब) 4(द) 5(द) 6(ब) 7(द) 8(अ) 9(स) 10(अ) 11(द) 12(स) 13(ब) 14(ब) 15(अ)

रोजगार शिविर के माध्यम से मिली सफलता

प्रार्थी का नाम – श्री रवि कुमार मीना

सक्सेस स्टोरी

मेरा नाम रवि कुमार मीना है। मैं अलवर जिला के रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी करते है तथा परिवार में तीन बहनों के साथ पूरी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी। मेरे परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। मैं एक कंपनी में कार्य कर रहा था, लेकिन कोरोना के कारण मेरी नौकरी छूट गयी। एक दिन मुझे मॉडल कैरियर सेंटर के बारे में पता चला। मैंने कार्यालय में आकर अपनी बात सर को बताई तथा रोजगार दिलाने की बात कही। सर ने मेरा निबंधन एनसीएस पोर्टल पर किया तथा ऑनलाइन रोजगार मेले के बारे में बताया, मैंने ऑनलाइन रोजगार मेले के लिए अपना निबंधन कराया फिर मेरे पास अशोका लीलैंड से फोन आया, और मेरा टेलिफोनिक इंटरव्यू लिया। मेरा अशोका लीलैंड में ट्रेनी पद पर चयनित हुआ है। मैं जिला रोजगार अधिकारी तथा मॉडल कैरियर सेंटर का आभार व्यक्त करता हूँ।

(पृष्ठ 7 का शेष)
(ग) **अंग्रेजी भाषा:** प्रश्न 10वीं/12वीं स्तर के होंगे. उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा की समझ, इसके शब्दों, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक और विपरीतार्थक तथा इनके सभी उपयोग तथा लेखन की योग्यता की भी जांच की जाएगी.
(घ) **संख्यात्मक अभिरुचि:** पेपर में संख्या प्रणाली, पूर्ण अंकों की संगणना, दशमलव और फ्रैक्शन तथा अंकों के बीच संबंध, मूलभूत अंकणितीय प्रचालन, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, सारणी और ग्राफ का उपयोग, मेन्सुरेशन, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और काम आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान से संब्रधित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा.

4. उम्मीदवारों/आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:
(क) परीक्षा की तिथियों के बारे में पात्र उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा.
(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए नीचे **परिशिष्ट-I** के तौर पर दिए गए प्रपत्र में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 36039/1/2019-स्था (आर.) दिनांक 31.01.2019 के बिंदु सं. 5 के अधीन निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है.
(ग) केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों को उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए साथ में अपनी स्थापना से यह प्रमाणपत्र कि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित/अवेक्षित नहीं है तथा चयन के मामले में उन्हें कार्यमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है, संलग्न करना चाहिए. उक्त पहलुओं को शामिल करते हुए प्रमाणपत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि को अथवा इसके बाद जारी किया गया होना चाहिए.
(घ) 01 जनवरी 2004 को अथवा इसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले नए व्यक्ति नई परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली (नई पेंशन योजना के तौर पर जानी जाने वाली) से शासित होंगे.
(ङ) कमांडेंट, इन्फेंटरी स्कूल महू डाक में किसी देरी अथवा असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
(च) कमांडेंट, इन्फेंटरी स्कूल, महू के पास रिक्तियों की संख्या में, यदि आवश्यक हुआ, परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है.

नोट : इस विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी व परिपत्र के लिए कृपया रोजगार समाचार, नई दिल्ली, दिनांक 7-13 अगस्त, 2021 का अवलोकन करें।

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रुपए 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। – संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। – सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
महेश शर्मा
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
हरी राम बडगूजर
सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398
ई-मेल: adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in

स्वत्त्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक सहायक निदेशक(प्रकाशन) द्वारा डी.बी. कॉर्प लि. 10, जेएलएन मार्ग, जयपुर, फोन- 0141-3981148 (भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, टोंक रोड, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक-हरी राम बडगूजर